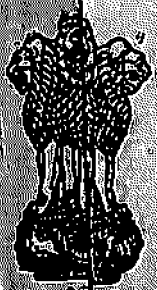

संख्या १

बिहार विधान सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

[illegible]वार, तिथि २८ जनवरी, १९५३ ।

Vol. II. No. 1

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report.

[illegible]nesday, the 28th January, 1953.

अधीक्षक, राजकी[illegible]ालय, बिहार,

मूल्य—६ आ[illegible]
Price—A[illegible]s 6.]

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण। सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में मंगलवार, तिथि १० मार्च, १९५२ को पूर्वाह्न ११ बजे में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना-प्रश्नोत्तर।

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

सिनेमा घरों में धुम्रपान निषेध।

४०। श्री नवल किशोर सिंह—क्या मुख्य-मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि राज्य के और विशेषतः पटना के सिनेमा घरों में सिगरेट के धुंए के कारण दर्शकों का बैठना कठिन हो जाता है;

(ख) क्या सरकार अपने किसी अनुदेश के जरिये ऐसी कोई व्यवस्था करना चाहती है कि जब चित्र चलते हों तो सिनेमा घरों में कोई सिगरेट न पिये;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि देश के कुल बड़े-बड़े नगरों में ऐसी व्यवस्था है?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(क) गवर्नमेंट को मालूम है कि सिनेमा जाने वालों को धुम्रपान के कारण सिनेमा हाल में तकलीफ होती है।

(ख) एक बिल जिसकी मंशा रहेगी इस तरह के धुम्रपान का रोकना तैयार हो रहा है और आशा की जाती है कि इसी अधिवेशन में वह पास होगा।

(ग) इस तरह का कानून भी अभी मद्रास और वेस्ट बंगाल में अभी चालू है। यू० पी० और दिल्ली में भी इस तरह का कानून बन रहा है।

श्री जगन्नाथ सिंह—माननीय मंत्री ने कहा है कि धुम्रपान से सिनेमा हाल में लोगों को तकलीफ होती है तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय को इसका अनुभव है या किसी रिपोर्ट के आधार पर कहते हैं।

अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं उठता है।

DELETION OF WORD "ADDITIONAL" FROM THE TITLE OF OFFICES.

67. **Shri KAMTA PRASAD GUPTA:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Government are considering to delete the word "additional' being used before the title of Superintendent of Police usually posted at Saharsa;

(ग) अगर खंड (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उनके नाम क्या हैं जिनके द्वारा डकैत पकड़े गये;

(घ) क्या सरकार ने उन लोगों को इनाम दिया है, जिनलोगों ने डाकुओं को पकड़ा था, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(क) से (ग) यह बात सही है कि चार डकैत और एक कंट्री मेड पाईप गन पकड़ा गया था। निम्न लिखित गांव के लोग उन डकैतों को और बंदूक के गिरफ्तारी के लिये जिम्मेवार हैं।

बहादुर बेलदार,
रघुबीर बेलदार,
छोटा अशरफी,
बड़ा अशरफी,
मोहन,
राधे।

(घ) एस० पी० ने निम्न लिखित इनाम देने का एलान कर दिया है जो केस खतम होने पर दिया जायगा—

		रु०
बहादुर बेलदार	..	६०
रघुबीर बेलदार	..	४०
बड़ा अशरफी	..	१०
छोटा अशरफी	..	१०
मोहन ..	..	१०
राधे ..	..	१०

१९४२ की क्रांति में बर्बादी।

*६३८। श्री सरयू प्रसाद सिंह—क्या मुख्य-मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि मौजे तेलधी, पुलिस स्टेशन बीहपुर तथा नौगछिया, जिला भागलपुर में श्री लेधो सिंह और ब्रह्मदेव सिंह के घर में १९४२ की क्रांति में ४ अक्तूबर को मिलीटरी ने आक्रमण किया और करीब ३९,००० का सोना और अन्यान्य चीजें लूटीं जिसकी कीमत मौजूदा हालत में करीब ६०,००० की होगी;

(ख) यदि खंड (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या यह बात सही है कि इस आशय का आवेदन पत्र उसी समय इनलोगों ने कलक्टर भागलपुर के पास किया था, और उनकी जांच भी हुई थी;

(ग) क्या यह बात सही है कि उक्त श्री लेधो सिंह जी ने, १९४९ के अक्तूबर, में कम्पेनसेशन के लिए बिहार प्रांतीय राजनीतिक पीड़ित कोष समिति तथा मुख्य मंत्री के पास दर्खास्तें दीं और बाजाप्ता उसकी दल्कायरी भी हुई;

(घ) यदि खंड (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या यह बात सही है कि इन दो सज्जनों में श्री ब्रह्मदेव सिंह जी को जिन्होंने १०,००० रु० का दावा किया ५,००० रु० मिले और श्री लेधो सिंह जी को जिनका दावा २९,००० रु० का था एक पैसा भी नहीं मिला, यद्यपि श्री लेधो सिंह की माली हालत ब्रह्मदेव सिंह से खराब है?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—(क) ऐसा जान पड़ता है कि ४ अक्टूबर, १९४२ को श्री लेधो सिंह, मौजा तेलघी, थाना बीहपुर, जिला भागलपुर के मकान में मिलीटरी ने धावा किया था और अनुमान किया जाता है कि श्री लेधो सिंह की माली क्षति हुई होगी। मगर इस संबंध में मजिस्ट्रेट की जांच करने पर कोई प्रमाण नहीं मिला। गवर्नमेंट के पास कोई सूचना नहीं है कि मिलीटरी ने श्री ब्रह्मदेव सिंह, मौजे तेलघी, थाना बीहपुर, जिला भागलपुर के घर में धावा किया था और उनको किसी तरह की माली क्षति हुई थी।

(ख) ऐसी कोई खबर नहीं है कि श्री लेधो सिंह ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास १९४२ में कोई दरखास्त दी थी। मगर एक दरखास्त चीफ मिनिस्टर, बिहार को जनवरी, १९४७ में दी थी। उस दरखास्त की जांच डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, भागलपुर ने की। मगर ब्रह्मदेव सिंह के यहां से कोई दरखास्त नहीं आई है।

(ग) गवर्नमेंट के पास कोई खबर नहीं है कि श्री लेधो सिंह ने १९४९ में बिहार प्रोविन्सयल रीलीफ कमिटी के सामने मदद के लिये कोई दरखास्त की थी। बी० पी० आर० सी० ने जो सूची बनाई है उसमें उनका नाम नहीं है। अक्टूबर, १९४९ के बाद उन्होंने चीफ मिनिस्टर के पास कोई दरखास्त नहीं दी थी।

(घ) यह बात सही नहीं है कि श्री ब्रह्मदेव सिंह, मौजे तेलघी को ५ हजार रुपया मिला, मगर यह बात सही है कि श्री लेधो सिंह को किसी तरह की मदद नहीं मिली; क्योंकि स्पेशल आफिसर ने श्री लेधो सिंह के बारे में रिपोर्ट दी थी कि उनकी माली हालत अच्छी है और उनको किसी तरह की सहायता की आवश्यकता नहीं है।

कुमार रघुनन्दन प्रसाद सिंह—क्या सरकार को मालूम है कि श्री लेधो सिंह के वास्ते ५ हजार रुपये का सैन्क्शन हुआ था?

अध्यक्ष—सरकार को इसकी खबर नहीं है।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—सरकार को इसकी खबर नहीं है।

कुमार रघुनन्दन प्रसाद सिंह—क्या सरकार जांच करायगी कि एक महीने के अन्दर श्री ब्रह्मदेव सिंह को ५ हजार रुपया मिला है और श्री लेधो सिंह को नहीं मिला सैन्क्शन होने पर भी?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—सरकार इसकी जांच करायगी।

श्री अनाथकान्त बसु—क्या यह बात सही है कि माली हालत अच्छी होने पर भी बहुत से लोगों को सहायता मिली है?

अध्यक्ष—यह प्रश्न कैसे उठता है। एक आदमी के बारे में जांच हुई और उनकी माली हालत अच्छी होने की वजह से सहायता नहीं मिली।